

कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
इन्द्रावती भवन, ब्लाक-डी (भू-तल) अटल नगर, जिला रायपुर (छ0ग0)

☎ - 2263708, 2262558 Fax - 2262558

Email Id - pmscstobc@gmail.com

क्रमांक / ऑ.ला.पो.मै.छा. / 118 / 2021-22 / 898
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 23/6 / 2021

आयुक्त
जनसंपर्क
छ0ग0 रायपुर

विषय:- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कालेज स्तर) वर्ष 2020-21 की ऑनलाईन आवेदन एवं स्वीकृति संबंधी प्रेस विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित करने बावत्।

-00-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ0ग0 राज्य में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय आई.टी.आई., महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज एवं पॉलीटेक्निक में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों एवं प्राचार्यों/संस्था प्रमुखों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की ऑनलाईन आवेदन एवं स्वीकृति की अंतिम तिथि की सूचना प्राप्त हो सके। इस हेतु राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों (जिनकी पहुंच ग्रामीण अंचलों तक हो) में लगातार तीन दिवस तक प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- विज्ञप्ति।
(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

(शम्मी आबिदी)
संचालक

आदिम जाति तथा अनु.जाति विकास
नया रायपुर, छग

पृ0क्रमांक / ऑ.ला.पो.मै.छा. / 118 / 2021-22 / 899
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, दिनांक 23/6 / 2021

1. सचिव, छ0ग0 शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) जिलाकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, मध्यप्रदेश राज्य केन्द्र, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सहायक आयुक्त (समस्त), आदिवासी विकास जिलाकी ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि जिले में संचालित संस्थाओं को पोर्टल प्रारंभ तथा अंतिम तिथि की सूचना प्रेषित करते हुए जिले में प्रकाशित होने वाले दो स्थानीय समाचार पत्रों (जिनकी पहुंच ग्रामीण अंचलों तक हो) में उपरोक्त विज्ञप्ति को लगातार तीन दिवस प्रकाशित करायें।

संचालक

आदिम जाति तथा अनु.जाति विकास
नया रायपुर, छग

कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
इन्द्रावती भवन, ब्लाक-डी (भू-तल) अटल नगर, जिला रायपुर (छ0ग0)

☎ - 2263708, 2262558 Fax - 2262558

Email Id - pmscstobc@gmail.com

क्रमांक/आ.ला.पो.मै.छा./118/2021-22/900

नया रायपुर, दिनांक 23/6/2021

“तिथि में वृद्धि की सूचना”

वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के आवेदन हेतु विज्ञप्ति

— — — —

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, को सूचित किया जाता है कि कोविड-19 लॉकडाऊन के कारण/महाविद्यालयों में प्रवेश विलम्ब तथा परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने के कारण शिक्षा सत्र 2020-21 में छात्रवृत्ति हेतु वंचित विद्यार्थियों के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही <http://mpsc.mp.nic.in/CGPMS> वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है।

जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के पंजीयन एवं संस्थाओं के प्रस्ताव/स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा लंबित विद्यार्थियों हेतु वर्ष 2020-21 में निम्नानुसार तिथि में वृद्धि की जा रही है :-

क	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
1	पात्र लंबित विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन/ नवीनीकरण)	दिनांक 25.06.2021 से दिनांक 01.07.2021
2	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 25.06.2021 से दिनांक 03.07.2021 तक
3	Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 25.06.2021 से दिनांक 07.07.2021 तक
4	Disburse (शासकीय/अशासकीय)	दिनांक 25.06.2021 से दिनांक 10.07.2021 तक
5	भुगतान हेतु अनुमोदन (नोटशीट) (शासकीय एवं अशासकीय)	दिनांक 15.07.2021 तक अनिवार्य

टीप :-

- वर्ष 2020-21 के छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों को अंतिम अवसर प्रदाय किया जा रहा है।
- वर्ष 2020-21 में जिन विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन कर दिये हैं कृपया वे दुबारा आवेदन न करें। दुबारा आवेदन करने पर नियमानुसार विद्यार्थी एवं संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जावेगा।
- सत्र 2020-21 हेतु निर्धारित तिथियों के पश्चात् विद्यार्थियों एवं संस्थाओं को पंजीयन/ड्राफ्ट/स्वीकृति करने की अनुमति प्रदाय नहीं किया जावेगा एवं संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

संचालक

आदिम जाति तथा अनु.जाति विकास

नया रायपुर, छग